न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन :– 1745/15 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

प्रार्थी :– 1. चाकरखां पुत्र अलणखां, जाति मुसलमान
निवासी बींजासर, तहसील सेड़वा।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1.हमजा पुत्र शेरा जाति मुसलमान
निवासी बींजासर, तहसील सेड़वा।

वकील प्रार्थी :– **श्री शाकर खान**

विप्रार्थीगण वकील :– **श्री**

निर्णय

दिनांक 29.06.2017

प्रार्थी चाकरखां पुत्र अलणखां जाति मुसलमान, निवासी बींजासर, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा सं. 1036/105 रकबा 37.09 बीघा मौजा बींजासर, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर में स्थित है। प्रार्थी द्वारा निर्धारित फार्म में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उसकी उक्त जोत पर आने जाने हेतु विप्रार्थीगण के खसरा सं. 546/106 रकबा 27.01 बीघा मौजा बींजासर के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है । अतः प्रार्थी को रास्ता दिया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीग के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त । विप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त लेकिन विप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में तहसीलदार सेड़वा मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत् लिखा गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प बींजासर में दिनांक 29.06.17 को पेश हुई। तहसीलदार द्वारा उपरोक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट पेश की गई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया।

चूंकि प्रस्तुत आवेदन एवं मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। प्रार्थी द्वारा रास्ते की मांग की गई है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के खेत से गांव, आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थी को जिन खसरों से रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्र.सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	546/106	27.01		20	01.03	बींजासर	हमजा वल्द शेरा कौम मुसलमान, निवासी बींजासर

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट एवं सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा इस में लाल रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीनी द्वारा देय होगी और प्रार्थीनी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व फर्द मौका निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरांन में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीनी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

5. प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 29.06.17 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2017 को कोर्ट कैम्प बींजासर मे सुनाया गया।

(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
चौहटन

आज दिनांक 8/9/2016 को श्रीमान् TDR साहब सेड़वा के आदेश क्रमांक 2016/2457 दि० 19/7/16 की पालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन के राजस्व आवेदन नं० 1745/15 अनवान प्रार्थी चाकरां वगैरा V/S विप्रार्थी हमजा वगैरा में माफिक न्यायालय के आदेश मौजा बीजासर के खेतखसरा नम्बर 546/106 रकबा 27-01 बीघा पर धारा 251 "A" R.T. Act में मौका जांच हेतु पहुंचा।

मौके पर प्रार्थी व विप्रार्थी तथा गांव के मौतबिरान पूर्व सूचना अनुसार उपस्थित मिले।

प्रार्थी विप्रार्थी एवम् मौतबिरान को साथ रखकर प्रार्थी द्वारा चाहे अनुसार बीजासर से मीयेका तला जाने वाली ग्रेवल सड़क व प्रार्थी के खेत का मौका देखागया। उक्त ग्रेवलसड़क एवम् प्रार्थी के खेत की बीच विप्रार्थी का खेतखसरा नम्बर $\frac{546}{106}$ रकबा 27-01 बीघा है। प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर $\frac{1036}{105}$ रकबा 37-09 बीघा तक आने जाने हेतु 20 फीट विप्रार्थी के खेतखसरा नम्बर $\frac{546}{106}$ रकबा 27-01 बीघा के पश्चिमी सेढे के सामानान्तर कटान मार्ग ले जाना चाहता है जिसका रकबा 1-03 बीघा बनता है जिसकी कीमत नियमानुसार प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

प्रार्थी द्वारा बताये अनुसार मौका नक्शा में उक्त प्रस्तावित मार्ग को बरंग लाल दर्शाया जाकर निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थी द्वारा चाहे अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। ख.नं. $\frac{546}{106}$ रकबा 27-01 बीघा सिंचित है तथा कटान मार्ग के पास है।

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी चौहटन
Ex Compt.
[signature]

क्र० सं०	नाम खातेदार मय वल्दियत सकूनत आदि	ख० नं०	रकबा	रास्ते की चौड़ाई	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	डि० एल० सी० दर	भूमि की कीमत
01	02	03	04	05	06	07	08
1	हमजा वल्द शेरा कौम मुसलमान निवासी कीगासर	546/106	27-01	20 फुट	1-03 बीघा	23900	27485

3 प्रस्तावित मौका नक्शा निम्नानुसार है।

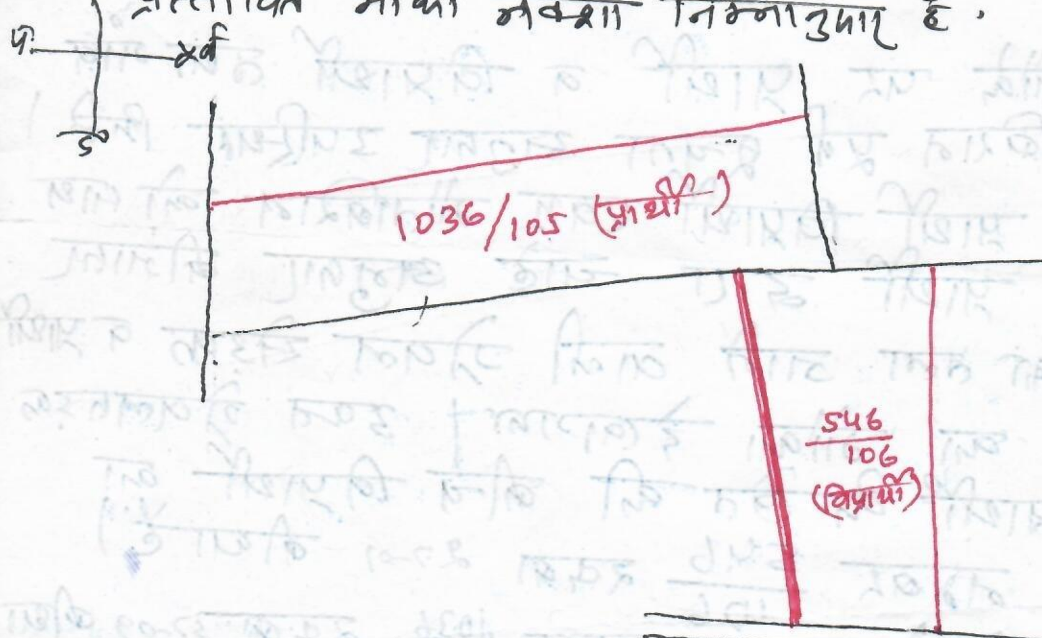

उक्त प्रस्तावित 20 फीट चौड़ाई के कटान मार्ग का रकबा 1-03 बीघा बनता है जिसमें कोई कीमती वृक्ष ढाणी मकान नहीं आते हैं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के खेत तक आने जाने हेतु नहीं हैं। विप्रार्थी मौके पर हाजिर रहे लेकिन कटान रास्ता देने में सहमती नहीं देने से फर्द पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान नहीं किया उपस्थित के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवाये गये।

मालकदीन. I.R. कीगासर 8/7/2016

EX Court

(अनि. सादीक s/o सुल्तान मुसलमान नि. कीगासर)

अनि. [illegible]

सतराम (सतराम s/o [illegible] गुर्जर)

(मिसरीलाल [illegible])

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

(अनि. [illegible])

तहसीलदार(भू.अ.) चौहटन